भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1678

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946, (शक)

पेंशन के लिए आनुपातिक मानदंड

1678. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेंशन के लिए आनुपातिक मानदंड को स्वीकृत करने के संबंध में परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिपत्र उस समय जारी किया गया है, जबकि विभिन्न न्यायालयों में आनुपातिक मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जांच चल रही है, क्योंकि यह कर्मचारियों की सेवा अवधि को दो भागों में विभाजित करने के बाद पेंशन की गणना करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पेंशन को दो भागों में विभाजित करने से अंतत: पेंशन की राशि कम हो जाती है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस तरह के कदम से पेंशनभोगियों की पेंशन राशि कम करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 11(1) और पैरा 12 के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन 1 सितंबर, 2014 तक की पेंशन योग्य सेवा के लिए आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो इस अवधि तक अधिकतम छह हजार पांच सौ रुपये प्रति माह और उसके बाद की अवधि के लिए अधिकतम पंद्रह हजार रुपये प्रति माह के अध्याधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिनांक 18.01.2025 को परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट किया है कि पेंशन की आनुपातिक गणना न्यायसंगत है और इसमें दोनों श्रेणियों के पेंशनभोगियों अर्थात् वेतन सीमा के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों और उच्च वेतन वाले पेंशनभोगियों को समान स्तर पर माना गया है।

****